| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज |
|---|---|
| 8.5.24 | पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी अपील आईंदा दिनांक 21.5.24 को पेश हो। जिला कलक्टर बालोतरा |
| 21.5.24 | पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 24,151 CPC प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पत्रावली में सुनवाई हेतु पत्रावली को न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी से न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर में स्थानान्तरण करने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।<br><br>अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०प्र० का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा वांछित सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है, एवं न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है। उक्त दोनो न्यायालय हस्तगत प्रकरण में भिन्न-भिन्न क्षेत्राधिकार होने |

| हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज | नम्बर अहकाम की तामील |
| --- | --- |
| के कारण उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार अधिकृत करना यह न्यायालय सक्षम नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा वांछित क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर में प्रकरण को स्थानान्तरण करना न्यायोचित नहीं होता है।<br><br>अत: न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में नहीं आने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है एंव अपीलार्थी पत्रावली स्थानान्तरण हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>जिला कलक्टर<br>बालोतरा | |